

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./वेतन आहरण/2016/1420 जयपुर, दिनांक: 31/03/16

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 785 दिनांक 24.02.2016 द्वारा जिला परिषद कार्यालय में पंचायत प्रसार अधिकारी के सृजित 6-6 पदों में से 3-3 पदों को समाप्त कर दिया गया है। जिसके कारण जिला परिषदों में पंचायत प्रसार अधिकारी आधिक्य हो गये हैं। समाप्त पदों का पुनर्स्थापन प्रक्रियाधीन हैं। इस बाबत अन्तिम आदेश जारी होने तक जिला परिषदों में उक्त आधिक्य हुए पंचायत प्रसार अधिकारियों का वेतन जिले के अधीन किसी भी कार्यालय में पंचायत प्रसार अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से



(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
4. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त